विज्ञापन

Rs.5 INDIA RUPEES Rs.5 INDIA RUPEES Rs.5 INDIA RUPEES Rs.5 INDIA RUPEES

(38)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015-16 निगरानी
निग-2764-II-16

1- संजय कुमार पुत्र श्री गजाधर प्रसाद शर्मा

2- धन्नजय पुत्र श्री गजाधर प्रसाद शर्मा निवासीगण ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला सिहौर म0प्र0

..निगरानीकर्तागण

श्री रविन्द्र कुमार अधि० द्वारा आज दि. 16-8-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1- बाबूलाल पुत्र श्री रामप्रसाद साहू

2- कालूराम पुत्र श्री बाबूलाल साहू निवासीगण ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला सिहौर म0प्र0

......प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 10.06.2016 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार तहसील रेहटी जिला सिहौर म0प्र0 जिनके द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 1/ए-13/15-16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांकी 13.05.2016 के माध्यम से आवेदकगण के विरूद्ध धारा 131 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में सूचना पत्र जारी करते हुये तथाकथित आवेदन पत्र के आधार पर रास्ते को बन्द किये जाने के आदेश पारित किये गये से प्रतिवेदित होकर निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2764–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रेहटी जिला सीहोर के प्र. क. 1/ए–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदक द्वारा अपने भूमि का सीमांकन एक वर्ष पूर्व कराया था। आवेदक के विरूद्ध अनावेदक द्वारा रास्ता खुलवाये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने आवेदक को आदेश दिनांक 13–5–16 को रास्ता खुलवाये जाने के अंतरिम आदेश पारित कर सूचन पत्र दिनांक 10–6–16 जारी किया है। आवेदक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन पूर्व में हुये सीमांकन की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का सीमांकन आवेदक के पक्ष में पूर्व हो चुका है। इसके अतिरिक्त जहां तक रास्ता खोलने हेतु सूचना पत्र जारी करने का प्रश्न है आवेदक उक्त सूचना पत्र के पालन में तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं सीमांकन आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः इस स्तर पर तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी आधारीन होने निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	